भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2098
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

पश्चिमी बंगाल में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2098. **डॉ. सुकान्त मजूमदार:**
श्री सौमित्र खान :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) पश्चिमी बंगाल के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में वर्तमान में कितने न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं और ये जिले-वार कब से रिक्त पड़े हैं ;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी अदालतों में इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त जिला न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं और ऐसे लंबित मामलों के वर्ष-वार और जिले-वार क्या कारण हैं ;
(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को रिक्तियों को भरने के लिए पहल कर रही है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ; और
(ङ) जनता के लिए आसान और सुलभ न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार तारीख 06.12.2021 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या 33 (तैंतीस) थी । तारीख 01.12.2021 तक पश्चिमी बंगाल के जिला न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार थी:-

क्र.सं.	कॉडर	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	255	16
2	अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय)	81	07
3	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	213+1 (निलंबित)	04
4	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)	374	32
5	कुल	923+1 (निलंबित)	59

(ख) : उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि, के कारण उद्भूत होती रहती है ।

वर्ष 01.08.2018 से 07.12.2001 के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है । उसका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	अवधि	नियुक्ति किए गए न्यायाधीशों की संख्या
1	01.01.2018 से 31.12.2018	11
2	01.01.2019 से 31.12.2019	06
3	01.01.2020 से 31.12.2020	01
4	01.01.2021 से 31.12.2021	08

कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न रैंक के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान मामले में विहित समय अनुसूची का पालन करते हुए भरी जाती है ।

(ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल के अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या **उपाबंध** पर दी गई है ।

(घ) : संविधान के अधीन संघ सरकार जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामलें में अपने 4 जनवरी, 2007 के आदेश में अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है । कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल राज्य की अधीनस्थ न्यायापालिका में न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया और नियुक्ति के लिए माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान मामले में यथा विहित समय अनुसूची का कुछ अवसरों को छोड़कर जब बाध्यकारी परिस्थितियों के अधीन ऐसी समय सीमा से विचलन हुआ था, कठोर रूप से पालन किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति को भरने में मलिक मजहर सुल्तान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

सितंबर, 2016 में, संघीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या में अभिवृद्धि करने और राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए लिखा था । इसे मई,

2017 में पुन: दोहराया गया था । जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़कर 30.11.2021 को 24,485 हो गई है ।

(ङ) : न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 को कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 98.7 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को वॉन संयोजकता प्रदान की गई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 को यथाविद्यमान, वादी इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) के माध्यम से, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से

सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा वादियों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छतीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा में पंद्रह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.57 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं थी ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11. 2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.12.2021	24,489	19,292

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति गठित की गई है । पूर्व में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है । विभाग ने

मलिमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण के संबंध में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित), वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 को यथाविद्यमान, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान दांडिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में 381 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 681 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 30.10.2021 तक 64,217 मामलों का निपटान किया है । त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम को 971.70 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश सहित कुल 1572.86 करोड़ रुपए की लागत से दो और वर्षों (2021-23) के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

उपाबंध

पश्चिमी बंगाल में न्यायाधीशों के रिक्त पद से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2098 जिसका उत्तर तारीख 10.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिले का नाम	2016 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1. बर्दवान	36845	180396	217241
2. बीरभूम	13877	35415	49292
3. बांकुरा	9178	29916	39094
4. पश्चिमी मिदनापुर	25970	78382	104352
5. पूर्ब मिदनापुर	23968	112552	136520
6. हुगली	27335	48685	76020
7. हावड़ा	40214	101526	141740
8. पुरुलिया	9038	19898	28936
9. दक्षिण 24 परगना	141202	695474	836676
10. उत्तर 24 परगना	68560	131770	200330
11. नादिया	21806	128175	149981
12. मुर्शिदाबाद	32484	101715	134199
13. उत्तर दिनाजपुर	6059	22271	28330
14. दक्षिण दिनाजपुर	4612	17273	21885
15. मालदा	9656	27692	37348
16. जलपाईगुड़ी	9697	42682	52379
17. दार्जिलिंग	5388	10642	16030
18. कूच बिहारी	2993	44759	47752
19. सीएमएम न्यायालय	0	334874	334874
20. नगर सिविल न्यायालय	65982	0	65982
21. नगर सत्र न्यायालय	0	1296	1296
22. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2676	2676
23. लघु वाद न्यायालय	5820	0	5820
योग	**560684**	**2168069**	**2728753**
24. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3507	5260	8767
कुल योग	**564191**	**2173329**	**2737520**

जिले का नाम	2017 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1. बर्दवान	38689	221530	260219
2. बीरभूम	13956	35068	49024
3. बांकुरा	9181	28722	37903
4. पश्चिमी मिदनापुर	24032	81542	105574
5. पूर्ब मिदनापुर	22542	114071	136613
6. हुगली	28810	57676	86486
7. हावड़ा	31832	61004	92836
8. पुरुलिया	6782	16072	22854
9. दक्षिण 24 परगना	111280	209965	321245
10. उत्तर 24 परगना	62599	129141	191740
11. नादिया	18210	126637	144847
12. मुर्शिदाबाद	32356	111916	144272
13. उत्तर दिनाजपुर	6171	23572	29743
14. दक्षिण दिनाजपुर	4952	17429	22381
15. मालदा	10321	29061	39382
16. जलपाईगुड़ी	9908	49704	59612
17. दार्जिलिंग	5364	17746	23110
18. कूच बिहारी	3120	47531	50651
19. सीएमएम न्यायालय	0	276362	276362
20. नगर सिविल न्यायालय	35979	0	35979
21. नगर सत्र न्यायालय	0	1427	1427
22. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2955	2955
23. लघु वाद न्यायालय	6039	0	6039
योग	**482123**	**1659131**	**2141254**
24. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3405	5822	9227
कुल योग	**485528**	**1664953**	**2150481**

जिले का नाम	2018 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1.पूरबा बर्दवान	20878	35314	56192
2.पश्चिमी बर्दवान	15470	48926	64396
3. बीरभूम	13849	36547	50396
4. बांकुरा	8919	20042	28961
5. पश्चिमी मिदनापुर	26854	48192	75046
6. पूर्ब मिदनापुर	23803	54787	78590
7. हुगली	29110	61700	90810
8. हावड़ा	31255	66595	97850
9. पुरुलिया	7233	16794	24027
10. दक्षिण 24 परगना	112206	220638	332844
11. उत्तर 24 परगना	66497	147652	214149
12. नादिया	19419	78901	98320
13. मुर्शिदाबाद	33189	120436	153625
14. उत्तर दिनाजपुर	5980	23671	29651
15. दक्षिण दिनाजपुर	5348	17739	23087
16. मालदा	9930	36144	46074
17. जलपाईगुड़ी	10497	56040	66537
18. दार्जिलिंग	5990	18124	24114
19. कलिम्पोंग	191	578	769
20. कूच बिहारी	3388	23551	26939
21. सीएमएम न्यायालय	0	320841	320841
22. नगर सिविल न्यायालय	37070	0	37070
23. नगर सत्र न्यायालय	0	1371	1371
24. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2888	2888
25.लघु वाद न्यायालय	5945	0	5945
योग	**493021**	**1457471**	**1950492**
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3769	6460	10229
कुल योग	**496790**	**1463931**	**1960721**

जिले का नाम	2019 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1.पूरबा बर्दवान	21151	38633	59784
2.पश्चिमी बर्दवान	15832	51974	67806
3. बीरभूम	13987	38581	52568
4. बांकुरा	9694	30210	39904
5. पश्चिमी मिदनापुर	26749	55174	81923
6. झारग्राम	140	111	251
7. पूर्ब मिदनापुर	23806	58367	82173
8. हुगली	29491	66840	96331
9. हावड़ा	32280	70465	102745
10. पुरुलिया	7741	17308	25049
11. दक्षिण 24 परगना	115004	227157	342161
12. उत्तर 24 परगना	68931	167711	236642
13. नादिया	20939	84329	105268
14. मुर्शिदाबाद	33746	128659	162405
15. उत्तर दिनाजपुर	6383	25791	32174
16. दक्षिण दिनाजपुरी	5566	18632	24198
17. मालदा	10220	42443	52663
18. जलपाईगुड़ी	11343	59093	70436
19. दार्जिलिंग	6468	18514	24982
20. कलिम्पोंग	169	662	831
21. कूच बिहारी	3561	25038	28599
22. सीएमएम न्यायालय	0	314274	314274
23. नगर सिविल न्यायालय	35846	0	35846
24. नगर सत्र न्यायालय	0	1514	1514
25. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2049	2049
26.लघु वाद न्यायालय	6121	0	6121
योग	505168	1543529	2048697
27. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3841	5954	9795
कुल योग	509009	1549483	2058492

जिले का नाम	2020 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
बांकुड़ा	10627	31050	41677
बीरभूम	15524	41525	57049
सीएमएमसी	0	325919	325919
सिटी सिविल न्यायालय	37613	0	37613
सिटी सेशंस न्यायालय	0	1756	1756
कूच बिहारी	4150	26914	31064
दक्षिण दिनाजपुर	6124	19587	25711
दार्जिलिंग	6844	19619	26463
हुगली	31915	70906	102821
हावड़ा	34892	73107	107999
जलपाईगुड़ी	12502	62510	75012
झारग्राम	2983	9760	12743
कलिम्पोंग	214	810	1024
मालदा	11426	45425	56851
एमएनएल। मजिस्ट्रेट सी.टी.	0	1864	1864
मुर्शिदाबाद	36361	136728	173089
नादिया	23824	89738	113562
उत्तर 24 परगना	73710	176669	250379
पीएससी कोर्ट	6228	0	6228
पश्चिमी बर्दवान	17866	55414	73280
पश्चिमी मेदिनीपुर	26115	50975	77090
पुरबा बर्दवान	23228	41509	64737
पूर्ब मेदिनीपुर	26042	63647	89689
पुरुलिया	8588	18844	27432
दक्षिण 24 परगना	122777	232355	355132
उत्तर दिनाजपुर	7402	27202	34604
कुल	546955	1623833	2170788
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4207	5632	9839
कुल (डब्ल्यूबी+ ए और एन)	551162	1629465	2180627

`

****